

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 5/2017- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, तारीख 28 जून, 2017

सा.का.नि. (अ) .-- केन्द्रीय सरकार, एकीकृत माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 के साथ पठित केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 54 की उपधारा (3) के परंतुक के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, माल जिनका विवरण नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट है और टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय, यथास्थिति, उक्त सारणी के स्तंभ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट हैं, के अधीन आने वाले, जिनकी बाबत अनुपयोजित निवेश कर प्रत्यय का प्रतिदाय अनुज्ञेय नहीं होगा जहां प्रत्यय ऐसे माल, (शून्य दर या पूर्णतः छूट प्राप्त प्रदाय से भिन्न) की जावक पूर्ति पर कर की दर से अधिक इनपुट पर कर की दर होने के कारण संचयित किया जा चुका है, अधिसूचित करती है।

सारणी

क्रम सं.	टैरिफ मद, शीर्ष, उपशीर्ष या अध्याय	माल का वर्णन
(1)	(2)	(3)
1.	5007	रेशन या रेशम अपशिष्ट के व्यूतित फैब्रिक
2.	5111 to 5113	धूनित ऊन के या धूनित सूक्ष्म प्राणी रोम के व्यूतित फैब्रिक
3.	5208 to 5212	कपास के व्यूतित फैब्रिक
4.	5309 to 5311	अन्य वनस्पति टैक्सटाइल फाइबर सूत, कागजी सूत
5.	5407, 5408	मानव निर्मित टैक्सटाइल सामग्री का व्यूतित फैब्रिक
6.	5512 to 5516	मानव निर्मित स्टेपिल फाइबर का व्यूतित फैब्रिक
7.	60	बुने या क्रोशियाकृत फैब्रिक (सभी माल)
8.	8601	रेल लोकोमोटिव, जो विद्युत के बाह्य स्रोत से या विद्युत संचायकों द्वारा शक्ति है
9.	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव; लोकोमोटिव टैंडर जैसे डीजल विद्युत लोकोमोटिव, स्टीम लोकोमोटिव और उसके टैंडर
10.	8603	स्वतः नोदित या ट्राम कोच, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 के हैं
11.	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतः नोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ कर्मशालाएं क्रेन, बेलास्ट टैंपर, ट्रैकलाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षण यान)
12.	8605	रेल या ट्राम यात्री कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं सामान वैन, टाकघर कोच और अन्य विशेष प्रयोजन रेल या ट्राम कोच, जो स्वतः नोदित नहीं हैं (उनसे भिन्न जो शीर्ष 8604 के हैं)
13.	8606	रेल या ट्राम माल वैन और वैगन, जो स्वतः नोदित नहीं हैं
14.	8607	रेल या ट्राम लोकोमोटिव या चल-स्टाक के पुर्जे बोगियां, बिसल-बोगिया, धुरी और पहिए और उनके पुर्जे
15.	8608	रेल या ट्राम पथ फिक्सचर और फिटिंग; रेलों, ट्रामों, सड़कों, अंतर्देशीय जलमार्गों, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन संस्थापनों या विमान-क्षेत्रों के यांत्रिक (जिसके अंतर्गत विद्युत यांत्रिक भी हैं) संकेतन सुरक्षा या यातायात नियंत्रण उपस्कर, पूर्वगामियों के पुर्जे

स्पष्टीकरण. –

(1) इस सारणी में, “टैरिफ मद”, “उपशीर्ष”, “शीर्ष” और “अध्याय” से सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट क्रमशः टैरिफ मद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय अभिप्रेत है ।

(2) उक्त सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची के निर्वचन के लिए नियम जिसमें खंड और अध्याय टिप्पण तथा प्रथम अनुसूची के साधारण व्याख्यात्मक टिप्पण, जहां तक संभव हो, इस अधिसूचना के निर्वचन को लागू होंगे ।

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी ।

[फा.सं.354/117/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार